(IJDSSH) 2020, Vol. No. 9, Issue 1, Jan-Jun **e-ISSN: 2455-5142; p-ISSN: 2455-7730**

Development of the National Character of the Hindi Language

Prateek Mali
Research Scholar
Karnatak University, Dharwad

हिंदी भाषा के राष्ट्रीय स्वरुप का विकास

प्रतीक माली
शोधछात्र, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़

Abstract

Hindi is one of the major languages of India and has played a significant role in strengthening the country's cultural, social, and national unity. The development of Hindi can be traced from Sanskrit, Pali, Prakrit, and Apabhramsha to its present form. The language serves not only as a medium of communication but also as a carrier of Indian culture and civilization. In a multilingual nation like India, Hindi has established a distinct identity as a link language, the Official Language of the Union, and a means of promoting national integration.

The practical development of Hindi was greatly influenced by pilgrimage traditions, commercial activities, religious movements, and the Indian freedom struggle. Today, Hindi serves as an important medium of communication among diverse linguistic communities across the country. This research paper analyzes the historical development of Hindi, its national character, its role as a link language, and its contribution to fostering Indian unity and integration.

Keywords: *Hindi language; national character; link language; Official Language; Indian culture; national unity; linguistic development; history of Hindi.*

सारांश

हिंदी भाषा भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है, जिसने देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश से होते हुए वर्तमान स्वरूप तक पहुँचा है। यह भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की संवाहक भी है। भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में हिंदी ने संपर्क भाषा, राजभाषा तथा राष्ट्रीय एकता के सूत्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। तीर्थयात्राओं, व्यापारिक गतिविधियों,

(IJDSSH) 2020, Vol. No. 9, Issue 1, Jan-Jun **e-ISSN: 2455-5142; p-ISSN: 2455-7730**

धार्मिक आंदोलनों तथा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी के व्यावहारिक स्वरूप का व्यापक विकास हुआ। आज हिंदी देश के विभिन्न भाषाई समुदायों के मध्य संवाद स्थापित करने वाली महत्वपूर्ण भाषा है। प्रस्तुत शोध-लेख में हिंदी के ऐतिहासिक विकास, राष्ट्रीय स्वरूप, संपर्क भाषा के रूप में उसकी भूमिका तथा भारतीय एकता में उसके योगदान का विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख शब्द : हिंदी भाषा, राष्ट्रीय स्वरूप, संपर्क भाषा, राजभाषा, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एकता, भाषाई विकास, हिंदी का इतिहास

भूमिका

भाषा मानव समाज की अभिव्यक्ति का सबसे प्रभावी माध्यम है। प्रत्येक भाषा का विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के प्रभाव में होता है। हिंदी भाषा का उद्भव भारतीय आर्य भाषाओं की दीर्घ विकास-परंपरा का परिणाम है। संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के विकासक्रम से गुजरते हुए हिंदी ने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। समय के साथ हिंदी का क्षेत्र, स्वरूप और प्रभाव निरंतर विस्तृत होता गया।

भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। ऐसी स्थिति में विभिन्न भाषाभाषी समुदायों के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो व्यापक रूप से समझी जा सके। हिंदी ने इस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए संपर्क भाषा और बाद में संघ की राजभाषा के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया।

उद्देश्य

- हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करना।
- हिंदी के राष्ट्रीय स्वरूप का विश्लेषण करना।
- हिंदी की संपर्क भाषा के रूप में भूमिका का मूल्यांकन करना।
- भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता में हिंदी के योगदान का अध्ययन करना।
- राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना।

विषय-वस्तु एवं विश्लेषण

हर भाषा का प्रगति जनसमुदाय में हूआ । धीरे - धीरे भिन्न भिन्न जनसमुदायों में भिन्न भिन्न भाषाओं का विकास हूआ। भाषाएँ सामजिक , राजनैतिक और धार्मिक परिवेश के कारण पल्लवित तथा पुष्पित हुई है ।

(IJDSSH) 2020, Vol. No. 9, Issue 1, Jan-Jun **e-ISSN: 2455-5142; p-ISSN: 2455-7730**

हर भाषा भावों - विचारों की संवाहक होती है। भाषा का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है. साथ ही साथ यह सभी भाषाओं के बारे में कहा जा सकता है। हम सभी इस सत्य से अवगत हैं कि वर्तमान हिन्दी का उत्पत्ती " संस्कृत भाषा " से हुआ है और काल के अनुसार यह, प्राकृत, पाली तथा अपभ्रंश का चोला बदलती हुई वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई।समय के साथ विकास के अनेक चरणों से गुजरती हुई शास्त्रीय संस्कृत से पाली प्राकृत और अपभ्रंश तक, हिन्दी का उद्भव 10 वीं शताब्दी में पाया जाता है।

विश्व के देशों में भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए हिंदी मूलभाषा ही नहीं प्राणभाषा भी हैं । हिंदी दुनियाभर में बस रहे भारतवासियों की सांस्कृतिक भाषा है, जिसकी लं ऐतिहासिक परंपरा है और यहीं हमारी हिंदी भाषा की ताकत है जो की विश्व के धरातल अपना स्थान प्रतिदिन उन्नत शिखर पर ले जा रही है ।

हिंदी भाषा ने दुनिया में भारतीय संस्कृति की रक्षा की है । विदेशों में भारतीय संस्कृति का वैभव प्रवासी भारतवंशियों के पसीने की कमाई का इनाम है, उसके मन और देह की खदानों का सोना हैं ।

हिंदी को खड़ी बोली के रूप में भी जाना जाता था । देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत गणराज्य की राष्ट्रीय "आधिकारिक " भाषा है और इसे दुनिया के सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा के रूप में स्थान दिया गया है।

हिंदी भाषा देश का देश का अभिमान, सम्मान, देश की एकता की पहचान की भाषा है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा के नाम पर प्रयुक्त होनेवाली भाषा के रूप में अगर कोई भाषा समर्थ है तो वह हिन्दी भाषा है. प्रारंभ से ही हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनमानस की पारस्परिक विचारे-विनिमय की अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही और आज भी उसका स्थान शाश्वत है.

भारत एक विशाल देश है और इस देश भर में कई तीर्थस्थान तथा मंदिर है. हिमालय से कन्याकुमारी तथा कन्याकुमारी से हिमालय तक तीर्थयात्री पर्यटन करते रहे. वर्तमान हिंदी प्रदेश में स्थित हरिद्वार प्रयाग, वारानासी आदि पवित्र स्थानों के दर्शनार्थ दक्षिण के लोग तथा दक्षिण के तिरुपति, कन्याकुमारी आदि तीर्थस्थानों के दर्शनार्थ हिंदी प्रदेश के लोग आया करते थे. इस पर्यटन के परिणामस्वरुप परस्पर विचार विनयम हेतु अखिल भारतीय स्तर की हिंदी का एक व्यावहारिक रूप विकसित हुआ.

भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के मध्य परस्पर विचार-विनिमय का माध्यम बनने वाली भाषा को सम्पर्क भाषा कहा जाता है। अपने राष्ट्रीय स्वरूप में ही हिन्दी पूरे भारत की सम्पर्क भाषा बनी हुई है। अपने सीमित रूप –प्रशासनिक भाषा के रूप – में हिन्दी व्यवहार में भिन्न भाषाभाषियों के बीच परस्पर सम्प्रेषण का माध्यम बनी हुई है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में बोली और समझी जाने वाली (बॉलीवुड की वजह से) देशभाषा

हिन्दी है, यह राजभाषा भी है तथा सारे देश को जोड़ने वाली सम्पर्क भाषा भी। राजनैतिक पार्टियाँ जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे अन्य राष्ट्रीय पार्टियों ने भी इस कार्य में अपना योगदान प्रधान किया है.

इसी प्रकार व्यापार के हेतु दक्षिण के लोग उत्तर में तथा उत्तर के लोग दक्षिण में जाया करते है. परस्पर व्यवहार के लिए उन लोगों को भी एक सामान्य भाषा की सहायता लेना अनिवार्य था. हिंदी के व्यावहारिक रूप बनाने में व्यापारियों का भी बड़ा योगदान है .हिंदी के व्यावहारिक रूप के विकास में धार्मिक वातावरण का योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है. हिंदी तथा हिन्दीतर प्रदेशों के साधू संतों के परस्पर समागम, सत्संग आदि के फलस्वरूप हिंदी में हिन्दीतर भाषाओं के कई शब्द सम्मिलित हुए.

प्रचलित मान्यता के विरुद्ध, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, यद्यपि राष्ट्रभाषा के विषय में भारतीय संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है, ना ही संविधान में इसका कोई प्रावधान मिलता है। अपितु, स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात, हिंदी भाषा की बड़ी आबादी को देखते हुए, तथा प्रशासनिक सरलता हेतु हिंदी को भारत की "राष्ट्रभाषा" के रूप में मान्यता प्रदान करने का विचार भी किया गया, एवं इसकी मांग भी उठी। परंतु भारत की भाषाई विविधता में केवल एक भाषा की बड़ी आबादी के आधार पर ऊँचा स्थान देने को असंवैधानिक और गलत माना गया एवं इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। मौजूदा समय में हिंदी भाषा संविधान की 8 वीं अनुसूची में अंकित 22 मान्य भाषाओं में से एक है।

हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने के एक हिमायती महात्मा गांधी भी थे, जिन्होंने 29 मार्च 1918 को इंदौर में आठवें हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उस समय उन्होंने अपने सार्वजनिक उद्बोधन में पहली बार आह्वान किया था कि हिन्दी को ही भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिये। उन्होने यह भी कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है। उन्होने तो यहाँ तक कहा था कि हिन्दी भाषा का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। आजाद हिन्द फौज का राष्ट्रगान 'शुभ सुख चैन' भी "हिंदुस्तानी" में था। उनका अभियान गीत 'कदम कदम बढ़ाए जा' भी इसी भाषा में था, परंतु सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तानी भाषा के संस्कृतकरण के पक्षधर नहीं थे, अतः शुभ सुख चैन को जनगणमन के ही धुन पर, बिना कठिन संस्कृत शब्दावली के बनाया गया था।

हिंदी का मातृभाषिक प्रदेश दिल्ली और दिल्ली से लगा उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ मात्र है। वस्तुतः मातृभाषा वह भाषा है जिसे व्यक्ति अपनी माता की गोद में सीखता है, अर्थात् उसे माँ-बाप, उसे अड़ोस-पड़ोस, उसके अपने संस्कार की भाषा मातृभाषा होती है। मातृभाषा की पहचान के संबंध में गुलाब राय ने अपने लेख “मातृभाषा की महत्ता” में लिखा है कि यदि किसी की मातृभाषा का पता करना हो और, यह किसी भी प्रकार पता नहीं चल पाएं तो अचानक पीछे से उसकी पीठ पर मुक्का मारो। ऐसी स्थिति में जिस

(IJDSSH) 2020, Vol. No. 9, Issue 1, Jan-Jun **e-ISSN: 2455-5142; p-ISSN: 2455-7730**

भाषा में वह अपनी आह व्यक्त करे वहीं उसकी मातृभाषा होगी। कारण, कोई कितना भी विदेशी भाषा का ज्ञान रखने वाला हो, अतिशय सुख अथवा अतिशय दुःख की अवस्था में वह अपनी मातृभाषा में ही अपने हृदय का भाव व्यक्त करेगा। यह एक अजीब-सी बात देखने को मिलती है कि जो हिंदी मातृभाषा के रूप में मात्र दिल्ली और उससे लगे मेरठ जिले एंव उसके आस-पास के एक छोटे से भू-भाग में प्रयोग में रही, द्वितीय भाषा के रूप में लगभग सारे भारत के विस्तार में प्राजल संपर्क का एक मात्र साधन बन चुकी है।

एक भाषा भाषी जिसे भाषा के माध्यम से किसी दूसरी भाषा के बोलने वालों के साथ संपर्क स्थापित कर सके, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। ऐसी भाषा मात्र दो या दो से अधिक भिन्न-भिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क का माध्यम नहीं बनती जो एक दूसरे की भाशा से परिचित नहीं हैं, अपतु दो या दो से अधिक भिन्न-भिन्न भाषाभाषी राज्यों के बीच तथा केंद्र और राजयों के बीच भी संपर्क स्थापित करने का माध्यम बन सकती हैं। भारत के ही प्राचीन इतिहास पर यदि हम नजर डालते हैं तो पाते हैं कि यहाँ हर युग में राष्ट्र की एक प्रमुख भाषा संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वाह करती रही है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के उद्भव और विकास से पहले संपर्क भाषा की इसी पंरपरा के क्रम में हम संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश का प्राजल प्रयोग पाते हैं। बाद में, मुगल शासन, देशी राजाओं और अंग्रेजी शासन काल में हिंदी को संपूर्ण रूप से तो नहीं, किंतु आंशिक रूप से संपर्क भाषा के रूप में व्यवहार किया गया। आजादी की लड़ाई के समय में गाँधी और सुभाष जैसे गैर हिंदी भाषी नेताओं ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति संदेश देने और दो भिन्न-भाषियों के बीच संपर्क के लिए हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाया। आजादी के बाद हमारी यहां हिंदी देश की सर्वमान्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है।

राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा। इस तरह राष्ट्र की जितनी भी भाषाएं है, सभी राष्ट्रभाषा है। फल्स्वरूप भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं के अतिरिक्त देश की दर्जनों अन्य भाषाएं भी जो अपने अपने क्षेत्रों में लोक सम्प्रेषण के माध्यम है हमारी राष्ट्र भाषाएं है। यही कारण है कि भारत के संविधान में इनमें से किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के नाम से अभिहित नहीं किया गया है। यही राजभाषा, संघभाषा अथवा संपर्क भाषा जैसे शब्दों का ही व्यवहार हुआ है। परंतु इतना होते हुए भी एक विशिष्ट अर्थ में राष्ट्रभाषा की संकल्पना और उसकी सार्थकता से हम इन्कार नहीं कर सकते और इस सार्थकता एवं यथार्थता के हकदार भी अपनी स्थिति के चलते हिंदी हो रही है।

राजभाषा अथवा संपर्क भाषा अपनी एक सीमा में परिधि में बंधी है, परन्तु, उस परिधि की सीमा के आर-पार विस्तृत व्यापक आयामों में परिव्याप्त, राष्ट्र के प्रशासन समस्त कार्य व्यापार, व्यवसाय रीति-नीति तकनीक तथा संस्कति और परंपरा को अभिव्यक्ति देने वाली तथा विश्व के विभिन्न देशों तक इन्हें पहुचाने में समर्थ राष्ट्र की एक सुगम सुबोध एवं सशक्त भाषा राष्ट्र भाषा होती है। भारत में इस रूप में राष्ट्रभाषा के स्वरूप में भी हिंदी स्वभावतः प्रतिष्ठित है। वस्तुतः राष्ट्रभाषा राष्ट्र की वह भाषा होती है जो अपने व्यापक

(IJDSSH) 2020, Vol. No. 9, Issue 1, Jan-Jun **e-ISSN: 2455-5142; p-ISSN: 2455-7730**

परिवेश और विकासोन्मुख प्रवर्धमान शक्तियों के चलते अपनी क्षेत्रीयता की सीमा से उपर उठते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों संवेदन स्पंदन को अपनी आत्मा में समेट कर उसे प्रकाश, अभिव्यक्ति देती है, और जो विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न भाषा भाषियों के बीच भावनात्मक ऐक्य स्थापित करने में सेतु का काम करता है। हिंदी इन दोनों ही दायित्वों का बखूबी निर्वाह कर रही है, और इसलिए इसकी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठा किसी कृत्रिम प्रयास का नहीं, स्वाभाविक गति का परिणाम है.

राजभाषा का अर्थ है वह भाषा जो राजकाज. प्रशासन-तंत्र के कार्य के संपादन को गतिविधि की कार्यकलापों की भाषा हो जैसे हर देश के अपने प्रतीक स्वरूप झंडे होते है और उसे राष्ट्रध्वज के नाम से पुकारते हैं, उसी तरह हर देश की समग्रता की अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में सार्वदेशिक स्वरूप रखनेवाली उसकी राजकीय गतिविधि के संपादन की एक भाषा भी होती है और उस भाषा को राजभाषा की संज्ञा दी जाती है। परंतु ऐसे संघ राष्ट्रों में जहां देश राष्ट के भिन्न भिन्न राज्यों का अलग अलग राजभाषाएं है वहां भाषा संघ की राजभाषा होती है जो आमतौर पर समस्त देश में अथवा देश के अधिकांश भागों में परस्पर भिन्न भिन्न भाषभाषियों के बीच संपर्क माध्यम का कार्य तो करती ही है , देश की शिक्षा, देश का ज्ञान विज्ञान, रीति-नीति, कला संस्कृति आदि से संबंधित समस्त कार्यव्यापारी का निर्वाह भी करती है । हिंदी बखूबी इन दायित्वों का निर्वाह करती है । यह आजादी से पहले मुगल शासन काल में और अंग्रेजी शासन काल में अनेक देशी राजाओं के राज्य की राजभाषा देश के व्यापक क्षेत्रों की संपर्क भाषा तथा मुगल एवं अंग्रेजी शासन में ऊपरी तौर पर द्वितीय राजभाषा की तरह प्रयोग की जाती रही ।

आजादी की लड़ाई में इसे विभिन्न भाषाभाषी सेनानियों के बीच भावों विचारों एवं कार्ययोजनाओं के संपादन के लिए संपर्क भाषा के रूप में अपनाया गया । यही कारण था कि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को इस प्राजल भारतीय संपर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा को संघ की राजभाषा बनाने का संकल्प पारित किया। भारत के संविधान के अनुसार “देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी । ”

वस्तुतः संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित देश की बाइसों (22) भाषाएं देश की राजभाषाएं है । परंतु जब हम पूरे देश को ध्यान में रखकर राजभाषा की चर्चा करते हैं तो उसका एक मात्र अर्थ होता है संघ की राजभाषा जो संघ के प्रशासनिक कार्यों संघ और राज्यों के बीच संपर्क तथा अपने देश का दूसरों देशों के साथ राजनायिक संबंध और परस्पर आदान प्रदान के माध्यम के रूप में प्रायुक्त होता है । यही हिंदी भारत के संघ की राजभाषा है।

विविधता में एकता भारत जैसे बहुभाषी , बहुपंथी और बहुरंगी देश की सबसे बड़ी शक्ति रही है। इस शक्ति का एक स्रोत हिन्दी भाषा ही है। समूच राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर ऐसा स्रोत बनाने का सौभाग्य हिंदी को ही रहा है हिंदी नाना प्रकार की विधाओं ,कलाओं और संस्कृतियों की त्रिवेणी बनाती है। हिंदी में पुरातन भारतीय परम्पराओं की अभिव्यक्ति के साथ ही आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की भी अपूर्व

(IJDSSH) 2020, Vol. No. 9, Issue 1, Jan-Jun **e-ISSN: 2455-5142; p-ISSN: 2455-7730**

क्षमता है।हिंदी भाषा भारत देश की आम भाषा है। भारत के ह्रदय का उद्गार है। डॉ .राजेन्द्र प्रसाद का कथन है , " राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ। हिंदी राष्ट्रीय एकता की भाषा है। हिंदी भारत माता के ललाट की बिंदी है। "

हिंदी भाषा बहुत ही सही ,प्रेरक है ।इस भाषा के माध्यम से अपने देश का विकास सचमुच संभव है।

निष्कर्ष (Conclusion)

हिंदी भाषा का विकास भारतीय भाषाई परंपरा की दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। संस्कृत से लेकर आधुनिक हिंदी तक की यात्रा ने इसे समृद्ध, व्यापक और प्रभावशाली बनाया है। हिंदी ने संपर्क भाषा, राजभाषा और सांस्कृतिक भाषा के रूप में भारतीय समाज को एकसूत्र में बाँधने का कार्य किया है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर वर्तमान वैश्विक परिदृश्य तक हिंदी की भूमिका निरंतर सुदृढ़ हुई है। राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक संरक्षण तथा सामाजिक समन्वय में हिंदी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः हिंदी का संरक्षण, संवर्धन और प्रचार राष्ट्रीय हित में आवश्यक है।

संदर्भ सूची

भोलानाथ तिवारी – हिंदी भाषा का इतिहास।

धीरेन्द्र वर्मा – हिंदी भाषा और नागरी लिपि।

हरदेव बाहरी – हिंदी भाषा का विकास।

भारतीय संविधान, अनुच्छेद 343 एवं अष्टम अनुसूची।

गांधी, मोहनदास करमचंद – राष्ट्रभाषा संबंधी विचार।

राजभाषा विभाग, भारत सरकार की आधिकारिक प्रकाशन सामग्री।

नगेन्द्र – हिंदी साहित्य का इतिहास।

References

Bahri, H. (n.d.). *Hindi bhasha ka vikas* [Development of the Hindi Language].

Department of Official Language, Government of India. (n.d.). *Official publications and documents relating to the Official Language policy*.

Gandhi, M. K. (n.d.). *Views on the national language*.

Government of India. (n.d.). *The Constitution of India* (Article 343 and Eighth Schedule). Government of India.

Nagendra. (n.d.). *Hindi sahitya ka itihas* [History of Hindi Literature].

Tiwari, B. (n.d.). *Hindi bhasha ka itihas* [History of the Hindi Language].

Verma, D. (n.d.). *Hindi bhasha aur Nagari lipi* [Hindi Language and the Devanagari Script].